2.1.2.1 – SSR Clarification – Seats filled

SC/ST/OBC-RESERVED SEATS — NUMBER OF RESERVED SEATS FILLED BY SC/ST/OBC

NUMBER OF SEATS RESERVED FOR SC/ST/OBC IN THE SESSION 2015-16 — FILLED SEATS ARE SHOWN BELOW—

S.N.	NAME OF THE PROGRAMS	NAME OF THE COURSE	COURSE CODE	TOTAL ENROLLED		SC		ST		OBC		RESERVED CATEGORY TOTAL (C+E+G)	
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
				TOTAL	GIRLS	TOTAL	GIRLS	TOTAL	GIRLS	TOTAL	GIRLS	TOTAL	GIRLS
1	UG	B.A.	B.A.-1	300	183	36	18	26	14	220	139	282	171
2			B.A.-2	216	150	17	10	8	4	183	130	208	144
3			B.A.-3	127	83	17	11	6	4	101	66	124	81
4		B.Sc.	B.Sc.-1	104	68	16	9	9	7	78	51	103	67
5			B.Sc.-2	57	35	6	4	2	1	47	29	55	34
6			B.Sc.-3	38	32	3	3	2	1	32	27	37	31
7		B.Com.	B.Com.-1	53	26	6	3	2	1	37	18	45	22
8			B.Com.-2	20	9	2	0	1	0	16	9	19	9
9			B.Com.-3	9	3	0	0	0	0	9	3	9	3
10	PG	M.A.-SOCIOLOGY	M.A.-1 SEM SOCIOLOGY	15	11	0	0	0	0	14	11	14	11
11			M.A.-III SEM SOCIOLOGY	16	4	1	1	3	1	11	2	15	4
12		M.A.-POLITICAL SCIENCE	M.A.-I SEM POLITICAL SCIENCE	18	10	3	2	1	0	14	8	18	10
13			M.A.-III SEM POLITICAL SCIENCE	13	9	0	0	3	1	10	8	13	9
14		M.A.-ECONOMICS	M.A.-I SEM ECONOMICS	5	5	0	0	0	0	5	5	5	5
15			M.A.-III SEM ECONOMICS	8	4	0	0	0	0	6	3	6	3
16		M.A.-GEOGRAPHY	M.A.-I SEM GEOGRAPHY	7	3	1	1	0	0	5	1	6	2
17			M.A.-III SEM GEOGRAPHY	10	6	0	0	3	3	7	3	10	6
18		M.A-HINDI	M.A.-I SEM HINDI	12	7	1	1	0	0	11	8	12	9
19			M.A.-III SEM HINDI	5	4	2	2	0	0	3	2	5	4
20		M.Sc.-BOTANY	M.Sc.-I SEM BOTANY	20	14	4	3	0	0	16	11	20	14
21			M.Sc.-III SEM BOTANY	18	8	0	0	0	0	18	8	18	8
22		M.Sc.-CHEMISTRY	M.Sc.-I SEM CHEMISTRY	20	16	3	3	1	0	13	10	17	13
23			M.Sc.-III SEM CHEMISTRY	18	10	2	1	0	0	14	8	16	9
24		M.Sc.-ZOOLOGY	M.Sc.-I SEM ZOOLOGY	20	11	2	1	2	1	15	9	19	11
25			M.Sc.-III SEM ZOOLOGY	19	12	2	1	1	0	14	10	17	11
26	DIPLOMA	PGDCA	PGDCA-I SEMESTER	35	20	8	5	1	0	25	15	34	20
			Total	**1183**	**743**	**132**	**79**	**71**	**38**	**924**	**594**	**1127**	**711**

Principal
Govt.C.L.C.Arts and Science
College Patan, Distt. Durg (C.G.)

Scanned by CamScanner

SC/ST/OBC-RESERVED SEATS — 2.1.2.1 Seats filled

NUMBER OF SEATS RESERVED FOR SC/ST/OBC IN THE SESSION 2016-17 AND FILLED BY SC/ST/OBC — BELOW —

S.N.	NAME OF THE PROGRAMS	NAME OF THE COURSE	COURSE CODE	TOTAL ENROLLED		SC		ST		OBC		RESERVED CATEGORY	
				A	B	C	D	E	F	G	H	I=C+E+G	J=D+F+H
				TOTAL	GIRLS	TOTAL	GIRLS	TOTAL	GIRLS	TOTAL	GIRLS	TOTAL	GIRLS
1	UG	B.A.	B.A.-1	300	172	43	27	22	11	224	126	289	164
2			B.A.-2	191	131	18	9	12	9	153	106	183	124
3			B.A.-3	164	119	14	7	4	2	142	108	160	117
4		B.Sc.	B.Sc.-1	105	68	20	14	8	4	71	47	99	65
5			B.Sc.-2	73	55	8	4	4	3	61	48	73	55
6			B.Sc.-3	60	42	7	6	2	1	48	34	57	41
7		B.Com.	B.Com.-1	46	22	7	6	1	0	34	16	42	22
8			B.Com.-2	44	28	4	3	2	1	32	20	38	24
9			B.Com.-3	20	12	2	0	0	0	18	12	20	12
10	PG	M.A.-SOCIOLOGY	M.A.-1 SEM SOCIOLOGY	19	14	1	0	1	1	17	13	19	14
11			M.A.-III SEM SOCIOLOGY	14	11	0	0	0	0	14	11	14	11
12		M.A.-POLITICAL SCIENCE	M.A.-I SEM POLITICAL	20	13	1	1	1	0	17	11	19	12
13			M.A.-III SEM POLITICAL SCIENCE	14	10	2	2	0	0	12	8	14	10
14		M.A.-ECONOMICS	M.A.-I SEM ECONOMICS	7	3	0	0	0	0	6	3	6	3
15			M.A.-III SEM ECONOMICS	5	5	0	0	0	0	5	5	5	5
16		M.A.-GEOGRAPHY	M.A.-I SEM GEOGRAPHY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17			M.A.-III SEM GEOGRAPHY	5	2	0	0	0	0	4	1	4	1
18		M.A-HINDI	M.A.-I SEM HINDI	6	6	0	0	0	0	6	6	6	6
19			M.A.-III SEM HINDI	12	7	1	1	0	0	11	6	12	7
20		M.Sc.-BOTANY	M.Sc.-I SEM BOTANY	20	10	1	0	1	1	17	8	19	9
21			M.Sc.-III SEM BOTANY	19	14	4	3	0	0	15	11	19	14
22		M.Sc.-CHEMISTRY	M.Sc.-I SEM CHEMISTRY	20	14	4	2	0	0	16	12	20	14
23			M.Sc.-III SEM CHEMISTRY	19	15	3	3	1	0	13	10	17	13
24		M.Sc.-ZOOLOGY	M.Sc.-I SEM ZOOLOGY	20	17	1	1	1	1	16	13	18	15
25			M.Sc.-III SEM ZOOLOGY	19	10	2	1	2	1	14	8	18	10
26	DIPLOMA	PGDCA	PGDCA-I SEMESTER	35	20	7	3	0	0	26	15	33	18
				1257	820	150	93	62	35	992	658	1204	786

Principal
Govt.C.L.C.Arts and Science
College Patan, Distt, Durg (C.G.)

Scanned by CamScanner

SC/ST/OBC-RESERVED SEATS 2.1.2.1 – Seats filled by Reserved Category

NUMBER OF SEATS RESERVED FOR SC/ST/OBC IN THE SESSION 2017-18

S.N.	NAME OF THE PROGRAMS	NAME OF THE COURSE	COURSE CODE	TOTAL ENROLLED		SC		ST		OBC		RESERVED CATEGORY TOTAL	
				A	B	C	D	E	F	G	H	I=C+E+G	J=D+F+H
				TOTAL	GIRLS	TOTAL	GIRLS	TOTAL	GIRLS	TOTAL	GIRLS	TOTAL	GIRLS
1	UG	B.A.	B.A.-1	300	170	50	27	22	11	225	129	297	167
2			B.A.-2	259	168	34	24	14	9	204	129	252	162
3			B.A.-3	271	185	18	13	13	7	228	157	259	177
4		B.Sc.	B.Sc.-1	110	72	18	15	8	4	80	51	106	70
5			B.Sc.-2	85	57	12	7	5	4	66	44	83	55
6			B.Sc.-3	78	57	8	4	4	2	65	50	77	56
7		B.Com.	B.Com.-1	48	25	5	3	3	1	39	20	47	24
8			B.Com.-2	33	20	4	4	0	0	26	16	30	20
9			B.Com.-3	34	23	4	2	1	1	24	17	29	20
10	PG	M.A.-SOCIOLOGY	M.A.-1 SEM SOCIOLOGY	17	9	0	0	0	0	17	9	17	9
11			M.A.-III SEM SOCIOLOGY	16	14	1	0	1	1	14	13	16	14
12		M.A.-POLITICAL SCIENCE	M.A.-I SEM POLITICAL	19	14	0	0	2	1	17	13	19	14
13			M.A.-III SEM POLITICAL	16	11	1	1	1	0	14	10	16	11
14		M.A.-ECONOMICS	M.A.-I SEM ECONOMICS	2	2	0	0	0	0	2	2	2	2
15			M.A.-III SEM ECONOMICS	7	3	0	0	0	0	6	3	6	3
16		M.A.-GEOGRAPHY	M.A.-I SEM GEOGRAPHY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17			M.A.-III SEM GEOGRAPHY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		M.A-HINDI	M.A.-I SEM HINDI	12	8	4	2	0	0	8	6	12	8
19			M.A.-III SEM HINDI	6	6	0	0	0	0	6	6	6	6
20		M.Sc.-BOTANY	M.Sc.-I SEM BOTANY	19	14	3	2	2	1	13	11	18	14
21			M.Sc.-III SEM BOTANY	19	10	1	0	1	1	16	8	18	9
22		M.Sc.-CHEMISTRY	M.Sc.-I SEM CHEMISTRY	20	11	4	1	1	1	15	9	20	11
23			M.Sc.-III SEM CHEMISTRY	20	14	4	2	0	0	16	12	20	14
24		M.Sc.-ZOOLOGY	M.Sc.-I SEM ZOOLOGY	19	14	1	1	1	0	17	13	19	14
25			M.Sc.-III SEM ZOOLOGY	19	16	1	1	1	1	15	12	17	14
26		M.Sc.-MATHS	M.Sc.-I SEM MATHS	5	2	1	0	0	0	4	2	5	2
27			M.Sc.-III SEM MATHS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	DIPLOMA	PGDCA	PGDCA-I SEMESTER	35	17	7	5	1	0	25	11	33	16
				1469	942	181	114	81	45	1162	753	1424	912

Principal
Govt.C.L.C.Arts and Science
College Patan, Distt. Durg (C.G.)

Scanned by CamScanner

2.1.2.1-SC/ST/OBC-RESERVED SEATS 2.1.2.1 – Seats filled by Reserved Category

NUMBER OF SEATS RESERVED FOR SC/ST/OBC IN THE SESSION 2018-19

S.N.	NAME OF THE PROGRAMS	NAME OF THE COURSE	COURSE CODE	TOTAL ENROLLED		SC		ST		OBC		RESERVED CATEGORY TOTAL	
				A	B	C	D	E	F	G	H	I=C+E+	J=D+F+H
				TOTAL	GIRLS	TOTAL	GIRLS	TOTAL	GIRLS	TOTAL	GIRLS	TOTAL	GIRLS
1	UG	B.A.	B.A.-1	**300**	**177**	**37**	**25**	**20**	**19**	**234**	**130**	**291**	**174**
2			B.A.-2	299	183	43	24	21	14	232	143	296	181
3			B.A.-3	300	190	37	26	19	14	234	142	290	182
4		B.Sc.	B.Sc.-1	110	66	28	18	9	3	70	44	107	65
5			B.Sc.-2	91	66	13	11	5	2	70	51	88	64
6			B.Sc.-3	89	63	8	6	4	2	75	53	87	61
7		B.Com.	B.Com.-1	60	36	4	2	2	1	51	30	57	33
8			B.Com.-2	21	16	3	2	1	1	16	12	20	15
9			B.Com.-3	15	11	0	0	0	0	15	11	15	11
10	PG	M.A.-SOCIOLOGY	M.A.-1 SEM SOCIOLOGY	20	15	3	2	0	0	17	13	20	15
11			M.A.-III SEM SOCIOLOGY	14	10	0	0	0	0	14	10	14	10
12		M.A.-POLITICAL SCIENCE	M.A.-I SEM POLITICAL	20	14	0	0	2	1	18	13	20	14
13			M.A.-III SEM POLITICAL	17	13	0	0	1	0	16	13	17	13
14		M.A.-ECONOMICS	M.A.-I SEM ECONOMICS	9	7	0	0	0	0	9	7	9	7
15			M.A.-III SEM ECONOMICS	2	2	0	0	0	0	2	2	2	2
16		M.A.-GEOGRAPHY	M.A.-I SEM GEOGRAPHY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17			M.A.-III SEM GEOGRAPHY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		M.A-HINDI	M.A.-I SEM HINDI	9	7	1	1	0	0	8	6	9	7
19			M.A.-III SEM HINDI	11	8	3	2	0	0	8	6	11	8
20		M.Sc.-BOTANY	M.Sc.-I SEM BOTANY	20	14	0	0	2	1	18	13	20	14
21			M.Sc.-III SEM BOTANY	17	13	1	0	2	1	13	11	16	12
22		M.Sc.-CHEMISTRY	M.Sc.-I SEM CHEMISTRY	16	10	1	0	0	0	15	10	16	10
23			M.Sc.-III SEM CHEMISTRY	17	10	3	1	1	1	13	8	17	10
24		M.Sc.-ZOOLOGY	M.Sc.-I SEM ZOOLOGY	20	17	1	1	1	1	16	13	18	15
25			M.Sc.-III SEM ZOOLOGY	19	14	1	1	1	0	17	13	19	14
26		M.Sc.-MATHS	M.Sc.-I SEM MATHS	25	12	3	2	1	0	19	9	23	11
27			M.Sc.-III SEM MATHS	5	2	1	0	0	0	4	2	5	2
28	DIPLOMA	PGDCA	PGDCA-I SEMESTER	35	20	5	2	0	0	27	17	32	19
			total	**1561**	**996**	**196**	**126**	**92**	**61**	**1231**	**782**	**1519**	**969**

Principal
Govt.C.L.C.Arts and Science College Patan, Distt. Durg (C.G.)

Scanned by CamScanner

2.1.2.1-SC/ST/OBC-RESERVED SEATS 2.1.2.1 — Seats filled by Reserved Category

NUMBER OF SEATS RESERVED FOR SC/ST/OBC IN THE SESSION 2019-20

S.N.	NAME OF THE PROGRAMS	NAME OF THE COURSE	COURSE CODE	TOTAL ENROLLED		SC		ST		OBC		RESERVED CATEGORY TOTAL	
				A	B	C	D	E	F	G	H	I=C+E+G	J=D+F+H
				TOTAL	GIRLS	TOTAL	GIRLS	TOTAL	GIRLS	TOTAL	GIRLS	TOTAL	GIRLS
1	UG	B.A.	B.A.-1	298	193	42	25	21	13	227	151	290	189
2			B.A.-2	298	191	36	25	26	22	232	142	294	189
3			B.A.-3	276	179	35	20	19	12	220	145	274	177
4		B.Sc.	B.Sc.-1	92	62	17	12	4	3	67	44	88	59
5			B.Sc.-2	83	58	14	12	6	2	60	43	80	57
6			B.Sc.-3	95	68	13	10	5	3	74	53	92	66
7		B.Com.	B.Com.-1	60	32	9	6	5	2	40	22	54	30
8			B.Com.-2	46	33	4	4	1	1	39	26	44	31
9			B.Com.-3	31	22	4	3	1	1	24	17	29	21
10	PG	M.A.-SOCIOLOGY	M.A.-1 SEM SOCIOLOGY	20	13	3	0	1	0	16	13	20	13
11			M.A.-III SEM SOCIOLOGY	20	15	3	2	0	0	17	13	20	15
12		M.A.-POLITICAL SCIENCE	M.A.-I SEM POLITICAL	20	15	5	4	2	0	13	11	20	15
13			M.A.-III SEM POLITICAL	16	12	0	0	1	0	15	12	16	12
14		M.A.-ECONOMICS	M.A.-I SEM ECONOMICS	13	9	2	1	2	2	9	6	13	9
15			M.A.-III SEM ECONOMICS	8	7	0	0	0	0	8	7	8	7
16		M.A.-GEOGRAPHY	M.A.-I SEM GEOGRAPHY	5	4	0	0	0	0	5	4	5	4
17			M.A.-III SEM GEOGRAPHY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		M.A-HINDI	M.A.-I SEM HINDI	17	11	2	1	0	0	15	10	17	11
19			M.A.-III SEM HINDI	8	7	0	0	0	0	8	7	8	7
20		M.Sc.-BOTANY	M.Sc.-I SEM BOTANY	20	15	1	0	0	0	19	15	20	15
21			M.Sc.-III SEM BOTANY	20	16	1	0	0	0	19	16	20	16
22		M.Sc.-CHEMISTRY	M.Sc.-I SEM CHEMISTRY	20	13	2	1	0	0	18	12	20	13
23			M.Sc.-III SEM CHEMISTRY	14	9	1	0	0	0	13	9	14	9
24		M.Sc.-ZOOLOGY	M.Sc.-I SEM ZOOLOGY	25	23	3	2	2	2	19	19	24	23
25			M.Sc.-III SEM ZOOLOGY	20	14	0	0	2	1	18	13	20	14
26		M.Sc.-MATHS	M.Sc.-I SEM MATHS	20	19	2	2	0	0	15	14	17	16
27			M.Sc.-III SEM MATHS	19	8	1	0	0	0	16	7	17	7
28	DIPLOMA	PGDCA	PGDCA-I SEMESTER	45	21	7	2	3	0	34	18	44	20
				1609	1069	207	132	101	64	1260	849	1568	1045

Shubhash
Principal
Govt.C.L.C.Arts and Science

Scanned by CamScanner

GOVERNMENT CHANDULAL CHANDRAKAR ARTS AND SCIENCE COLLEGE PATAN, DIST.-DURG

2.1.2 - Average percentage of seats filled against seats reserved for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc. as per applicable reservation policy) during the last five years (exclusive of supernumerary seats) (20)

Year	Number of seats earmarked for reserved category as per GOI or State Government rule					Number of students admitted from the reserved category				
	SC	ST	OBC	Gen	Others	SC	ST	OBC	Gen	Others
2015-16	207	566	254	768	0	132	71	924	56	0
2016-17	207	566	254	768	0	150	62	992	53	0
2017-18	210	574	258	778	0	181	81	1162	45	0
2018-19	213	582	262	788	0	196	92	1231	42	0
2019-20	215	587	264	794	0	207	101	1260	41	0

* In case of Minority Institutions, the column Others may be used and the status of reservation for minorities specified along with supporting documents.

Shabhash

Principal
Govt.C.L.C.Arts and Science
College Patan, Distt.-Durg (C.G.)

2.1.2-Additional Information

(A) Reservation policy for SC/ST/OBC in college admission, and the admission rule in college is given in the following guidelines

1. State Government **Admission Rule-** Pravesh Margdarshika 2017-18
2. State Government **Admission Rule-** Pravesh Margdarshika 2018-19
   http://www.govtcccollegepatan.in/newsData/D157.pdf
3. State Government **Admission Rule-** Pravesh Margdarshika 2019-20

(B) Guidelines and All information about college is given in the following documents of the college

4. College **Old** Prospectous 2014-15
   http://www.govtcccollegepatan.in/newsData/D33.pdf
   http://www.govtcccollegepatan.in/newsData/D220.pdf
5. College **New** Prospectus 2019-20
   http://govtcccollegepatan.in/newsData/D109.pdf

(C) Other information about reservation of SC/ST/OBC in college and its Reservation Table is given below

Execlusive of supernumerary seats

2.1.2

Government C.L.C. College Patan, Dist-Durg (C.G.)

2.1.2- *Average percentage of seats lled against seats reserved for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc. as per applicable reserva on policy during the last ve years (exclusive of supernumerary seats)*

Exclusive of supernumerary seats

According to the admission rule of Chha sgarh Government, SC-12%, ST-32%, OBC-14%. So this total percent of admission is 58%. Hence, the un-served (UR) seats for admission is 42%. Out of these admission percent, one third seats is horizontally reserved for the girl students. Since the number of boys candidate for admission is not more than two third of total seats, therefore most of the girls candidate got admission in the non-reserved seats against boys category . It clari es that most of the students are girls.

Similarly, there is not more than 42% un-reserved category students. Therefore, in the UR (unreserved) seats of candidates, the reserved students get admission. The admission strictly follows the merit rule. Hence in the UR (general) category, the reserved candidate got admission.

Signature

Admission incharge

Signature

Principal

Principal
Govt.C.L.C.Arts and Science
College Patan, Distt.-Durg (C.G.)

2.1.2

(B) Admission Table 2015-16

GOVT. C.L.C. COLLEGE PATAN, DISTT.-DURG (C.G.) 491111

ADMISSION SCHEDULE IN 2015-16 FOR THE B.A./B.Com./B.Sc.- PART-I & M.A. / M.Sc./PGDCA 1st Sem CLASSES 2.1.2

PROPOSED RESERVATION DETAILS FOR ADMISSION IN THE SESSON 2015-16

(SC=12%, ST=32%, OBC=14%, HORIZONTAL quota for Ex. Service./Fr. Figh.Sp./PH=3%)

S. N.	CLASS	SEATS	TOTAL RESERVATION	Category wise reservation details				
				UR	SC	ST	OBC	TOTAL
1	B.A-I	300	VERTICAL→ HORIZONTAL=9	126	36	96	42	300
2	B.Sc.-I(M), B.Sc.-I(B), B.COM.-I each	60	VERTICAL→ HORIZONTAL=2	26	07	19	08	60
3	M.A./M.Sc.-I Sem.	20	VERTICAL→ HORIZONTAL=1	09	02	06	03	20
4	PGDCA-I Sem.	35	VERTICAL→ HORIZONTAL=1	15	04	11	05	35

LIST WISE PROPOSED RESERVATION DETAILS FOR ADMISSION IN THE SESSON 2015-16

S. N.	CLASS	SEATS	TOTAL RESERVATION	FOR FIRST LIST					FOR SECOND LIST				
				UR	SC	ST	OBC	TOTAL	UR	SC	ST	OBC	TOTAL
1	B.A-I	300	VERTICAL→ HORIZONTAL=9	70 2	20 1	56 2	30 1	176 6	56 2	16 0	40 1	12 0	124 3
2	B.Sc.-I(M), B.Sc.-I(B), B.COM.-I each	60	VERTICAL→ HORIZONTAL=2	14	4	11	6	35 1	12	3	8	2	25 1
3	M.A./M.Sc.-I Sem.	20	VERTICAL→ HORIZONTAL=1	5	1	4	2	12	4	1	2	1	8
4	PGDCA-I Sem.	35	VERTICAL→ HORIZONTAL=1	8	2	7	4	21 1	7	2	4	1	14

PROPOSED LIST PUBLICATION FOR ADMISSION IN THE SESSON 2015-16

DISCRIPTION	FOR FIRST LIST	FOR SECOND LIST	LAST LIST (IF NEED)
Submission of Admission form by students	Last date:20-06-2015		
Publication of first list on notice board	Upto-23.06.2015	Upto-30.06.2015	
Last date of paying fee (without late-fees)	Upto-30.06.2015	Upto-07.07.2015	
Last date of paying fee (with late fees)	Upto-05.07.2015	Upto-12.07.2015	

Date:16.06.2015

प्रवेश संयोजक

2.1.2_Admission Fixture

S.K. Bharadwaj
PRINCIPAL

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा
ब्लॉक–सी–3 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रवती भवन,
अटल नगर,रायपुर (छ.ग.)

——00——

कमांक/2470/ 887 /आउशि/ समन्वय/2019 अटल नगर रायपुर,दिनांक 24 /05/2019

प्रति,

1. कुल सचिव,
   समस्त विश्वविद्यालय,
   छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,
   समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
   छत्तीसगढ़।

विषय :– छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019–20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत।

संदर्भ :– अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांक एफ 17–95/ 2017/ 38–2 अटल नगर रायपुर,दिनांक 24.05.2019

——00——

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019–20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत जारी किये गये है। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत 2019–20 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत 2019–20 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करावें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(डॉ.किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

पृ.कमांक/2471/ 887 /आउशि/ समन्वय/2019 अटल नगर रायपुर, दिनांक 24/05/2019

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/ बिलासपुर/जगदलपुर/ अंबिकापुर / दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, अटल नगर
जिला–रायपुर
-------00---------

क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 24/5/2019
प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर।

विषयः– **छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019–20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।**

संदर्भः– **आपका प्रस्ताव जावक कमांक 1077 दिनांक 06.05.2019**

-----00-------

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2019–20 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(रविन्द्र मेढेकर)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 अटल नगर रायपुर, दिनांक / /2018
प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

4. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2019–20

1. प्रयुक्ति :–

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम समेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :–

2.1 **प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :–**

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 **प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :–**

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 15 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 31 जुलाई तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। **(स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रारंभ होगा)** परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र–पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :–

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी

महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 **पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :–**

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. **प्रवेश संख्या का निर्धारण :–**

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय /उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. **प्रवेश सूची :–**

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण–पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/– अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38–1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार "राज्य शासन, एतद् द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014–15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है।" का पालन किया जाए।

5 प्रवेश की पात्रता :–

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :–

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :–

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :–

(क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.–पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस–सी/एम.ए.–पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :–

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :–

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :–

(क) "विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45%(अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%) होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाद्व में 55% अंक (अनसूचित जनजाति/ अनूसूचित जाति /ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश / संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीक्षा :-

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों / इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र / ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने / डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री / डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 संम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण सस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52 / 2013(सीसी / एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

"जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यवसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को

के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।"

7. **बाह्य आवेदकों का प्रवेश :–**

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए. / बी.कॉम. / बी.एस.–सी. / बी.एच.एस–सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय / तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों / विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावें। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों / विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी / गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड / विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. **अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :–**

8.1 10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम / द्वितीय / तृतीय में पूरक / एटी–केटी प्राप्त आवेदकों

8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत् पूरा न करने वाले या पू
प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्व निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य कि जावेगा।

9 **प्रवेश हेतु अर्हताएं :–**

9.1 **किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्रा छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी** यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐस आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 **प्रवेश हेतु आयु–सीमा :–**

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वर्द्ध/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जाएगी।

(ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/ कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

(घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातको पूर्व/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता होगी।

(ङ) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा व /महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त अभ्यर्थ आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्ना पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभ देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्ती नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्या विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त कर वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवा स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थि महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदक के आवेदनों पर बिचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अप नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों क प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिलों में स्थित य आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह

अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12 **आरक्षण–छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :–**

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :–

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत् सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको /भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों के लिये 3 प्रतिशत् स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगें ।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों मैं से 30 प्रतिशत् स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि

का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीट भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा 1/2 प्रतिशत् एवं एक प्रतिशत् के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत् तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि – "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. अधिभार :–

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	"सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधितत्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रप्रति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत

(२) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को — 15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा मे उसी विषय में प्रवेश लेने पर — 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / क्विज / रूपांकन प्रतियोगिताएं :—

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अ जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / स्तर प्रतियोगिता में :—

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजि अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्री राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजि प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्री प्रतियोगिता में :—

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 07 प्रतिशत

(ग) संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :—

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को — 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ शासन / म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :—

(क) छत्तीसगढ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को — 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ की — [illegible] प्रतिशत

13.6 जम्मू–कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :–

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :–

(1) इस प्रकार के प्रमाण–पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष मे प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :–

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15 शोध छात्र :–

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच–डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति ...

कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेत आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय मे पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति मे शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शो आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उस महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16 विशेष :-

16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथव कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 मे वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण मे मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन /संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

NAAC ग्रेड बी प्राप्त
UGC-2(F)12(B) से मान्यता प्राप्त
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से सम्बद्ध

Email : patancollege@gmal.com
www.govtccollegepatan.in
Ph. : 07826-273675
Fax : 07826-273675
Pin Code : 491111

शासकीय चन्दूलाल चन्द्राकर स्नातकोत्तर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, पाटन, (दुर्ग)

प्रवेश विवरणिका

स्वप्न :-

ग्रामीण युवाओं की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं न केवल स्थानीय क्षेत्र अपितु राष्ट्रीय स्तर की उच्च शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध करवाकर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना तथा विद्यार्थियों में अनुशासन के सहिष्णु परिपालन की समझ पैदा करना महाविद्यालय का स्वप्न है।

उद्देश्य :-

राज्य की एक उत्कृष्ट संस्था के रूप में महाविद्यालय की उन्नति हेतु प्रयास करना ही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। महाविद्यालय, ग्रामीण युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के सुगम साधनों की उपलब्धता के साथ रोजगार के अवसर प्रदान करने के प्रयास के रूप में अपनी सेवाएँ देगा। ग्रामीण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के समन्वित विकास की दिशा में महाविद्यालय प्रयास करेगा जिसके तहत विद्यार्थियों के बौद्धिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

संस्था का लक्ष्य :-

महाविद्यालय के स्वप्न एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :–

1. उत्तम शिक्षा के द्वारा ग्रामीण युवाओं को उन्नत करना।
2. क्षेत्र के निर्धन, जरूरतमंद, सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की सेवा करना।
3. शिक्षित, नीतिवान, सुसंस्कृत एवं आध्यात्मिक नागरिक के रूप में ग्रामीण युवाओं का निर्माण करना।
4. शैक्षिक सुविधाविहीन महिलाओं को उन्नत करना।
5. ग्रामीणों को परामर्श,पुनश्चर्या कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार के अवसरों एवं स्वरोजगार के द्वारा उचित और स्थायी आय – अर्जन के द्वारा सुविधायुक्त जीवन जीने के प्रस्तावों की जानकारी उपलब्ध करवा कर जागरूक बनाना।
6. सामान्य ग्रामीण विद्यार्थियों को न्यूनतम व्यय पर गुणवत्तामूलक शिक्षाकी उपलब्धता के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों हेतु सशक्त करना।
7. महाविद्यालय सामाजिक एवं आर्थिक रूप से क्षतिग्रस्त ग्रामीण विद्यार्थियों के जीवन के निर्माण एवं कल्याण हेतु कार्य करेगा।
8. विद्यार्थियों में अनुशासन को अन्तर्निविष्ट करने हेतु नैतिक परामर्श की कक्षाएं तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा।
9. विद्यार्थियों को अकादमिक उत्कृष्टता उपलब्ध करवाने के साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी के एकल प्रदर्शन की पहचान एवं देखभाल करना।
10. विद्यार्थियों की छिपी प्रतिभा के विकास हेतु उन्हें परिसंवाद, सम्मेलनों में सहभागिता एवं शैक्षिक भ्रमण हेतु प्रेरित करना।

शासकीय चन्दूलाल चन्द्राकर स्नातकोत्तर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय
पाटन, जिला – दुर्ग (छ.ग.)

1. संस्था का परिचय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 2(f) एवं 12(B) से मान्यता क्रमांक f-8-119/91/CPP-दिनांक 10.09.1992 एवं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से स्थायी सम्बद्धता का पत्र क्रमांक 22 / 01 / 1992 है। शासकीय चन्दूलाल चन्द्राकर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, पाटन की स्थापना 16 अगस्त 1989 को तत्कालीन मुख्यमंत्री,म.प्र.शासन माननीय श्री मोतीलाल वोरा के कर–कमलों द्वारा हुई। स्थापना काल के प्रारंभिक वर्षों से ही महाविद्यालय विकास की ओर अग्रसर है।

स्वयं के भवन के अभाव में स्थानीय हाई स्कूल भवन में संचालित यह महाविद्यालय प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना करता रहा, परन्तु म.प्र. शासन द्वारा लगभग 17.5 एकड़ भूमि ग्राम अखरा पाटन में आबंटित की गयी। तत्कालीन सांसद,माननीय चन्दूलाल चन्द्राकर द्वारा सांसद मद से दिये गये अंशदान से पांच कमरों को निर्माण के साथ महाविद्यालय की विकास–यात्रा प्रारंभ हुई। 6 फरवरी 2008 को महाविद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण हुआ।

सत्र 2018–19 में महाविद्यालय में 1561 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। गतवर्ष विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में समस्त कक्षाओं का परिणाम 85% से 90% रहा। महाविद्यालय में 15 सहायक प्राध्यापक का स्टाफ है। यह महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित है। इस महाविद्यालय को हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग छत्तीसगढ़ से संबद्धता प्राप्त है। पाठ्यक्रम तथा परीक्षाएँ विश्वविद्यालयीन नियमों से क्रियान्वित होती हैं।

महाविद्यालय के कला संकाय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, हिन्दी तथा विज्ञान संकाय के गणित तथा बायो समूह में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र एवं गणित विषय की कक्षाएं संचालित हैं। वाणिज्य संकाय स्नातक एवं पी.जी.डी.सी.ए. संचालित हैं।

महाविद्यालय के गुरूजनों, विद्यार्थियों के कड़े परिश्रम एवं प्राचार्य के प्रेरणादायक मार्गदर्शन से लगभग प्रतिवर्ष विश्वविद्यालयीन प्रावीण्य सूची में महाविद्यालय के विद्यार्थी रहते हैं परिणामंतः NAAC बेंगलुरू द्वारा महाविद्यायल का निरीक्षण कर वर्ष 2014–15 में ग्रेड B जैसा प्रतिष्ठापूर्ण ग्रेड प्रदान किया गया है।

महाविद्यालय का स्वयं का शासकीय भवन, पूर्ण सुविधायुक्त पुस्तकालय भवन, महिला छात्रावास, खेल का मैदान,राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 08 कमरे तथा 02 प्रयोगशालाएँ हैं।

2 उपलब्ध पाठ्यक्रम

अ. स्नातक पाठ्यक्रम - वार्षिक पद्धति

		निर्धारित सीटें
1	कला संकाय :– बी. ए.	
	बी.ए. भाग –1,2,3	300
	उपलब्ध विषय – राजनीति विज्ञान, हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल।	
2	विज्ञान संकाय :– बी.एस–सी.	
	(गणित समूह) – भौतिकशास्त्र, रसायन शास्त्र , गणित।	60
	(बायो समूह) – रसायन शास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र।	60
3	वाणिज्य संकाय :– बी. कॉम.	
	विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सभी अनिवार्य विषय	60

ब. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम - सेमेस्टर पद्धति

(क.) शासन द्वारा संचालित पाठ्यक्रम -

एम. ए. – राजनीति विज्ञान	20
एम. ए. – समाजशास्त्र	20
एम.एस.सी. – गणित	25

(ख.) स्ववित्तीय योजना द्वारा संचालित पाठ्यक्रम -

एम. ए. – अर्थशास्त्र	20
एम. ए. – हिन्दी साहित्य	20
एम. ए. – भूगोल	20
एम.एस.सी. – वनस्पति विज्ञान	20
एम.एस.सी. – प्राणी विज्ञान	20
एम. एस.सी. – रसायन विज्ञान	20

(ग.) स्नातकोत्तर डिप्लोमा (स्ववित्तीय योजना के तहत) -

पी.जी.डी.सी.ए.	35

अनिवार्य विषय

स्नातक परीक्षा में सभी संकायों हेतु हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा एवं पर्यावरण अध्ययन।

सुविधाएं :– अकादमिक गतिविधियाँ, कैरियर गाइडेन्स, एन.सी.सी. महिला विंग।

राष्ट्रीय सेवा योजना, रेड रिबन क्लब, रेड क्रॉस, पुस्तकालय, प्रतियोगी परीक्षा संबंधी पुस्तकें, फोटो कॉपी मशीन, वाई – फाई, खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय भवन में व्हील चेयर की सुविधा है।

प्रवेश नियम

उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन द्वारा स्वीकृत प्रवेश नियम, मार्गदर्शक सिद्धांत तथा संशोधित नियम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश :-

प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

प्रवेशार्थी को प्रवेश आवेदन पत्र क्रय करने के पश्चात् समस्त प्रमाण–पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति सहित निर्धारित तिथि के पूर्व प्रवेश आवेदन पत्र जमा करना होगा। विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा अंकसूची प्राप्त न होने की स्थिति में अपनी पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा अभिप्रमाणित पत्र के आधार पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा कर सकेंगे। घोषित अंतिम तिथि के बाद एक सप्ताह तक विलंब शुल्क के साथ प्रवेश आवेदन पत्र जमा किया जा सकेगा।

3.1 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो, मान्य होगी। कंडिका 6 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर सत्र के दौरान प्रवेश दिया जावेगा किन्तु इसके लिए अभिभावक द्वारा कार्यभार ग्रहण करेन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को प्रवेश हेतु अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यायल में प्रवेश होने पर ही प्रवेश दिया जावेगा।

3.2 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण हुए छात्रों की प्रवेश की अंतिम तिथि :-

पुनर्मूल्यांकन में उत्तीण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिनों तक कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम (प्रावीण्यता) में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी।

3.3 पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों हेतु प्रवेश की अंतिम तिथि :-

स्नातक स्तर भाग 2 एवं भाग 3 में प्रवेश हेतु स्थान रिक्त होने पर गुणानुक्रम के आधार पर निर्धारित प्रवेश संस्था के अनुसार निर्धारित तिथि तक प्रवेश की पात्रता होगी।

3.4 प्रवेश सूची :-

(क) प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहॉ अधिभार देय है वहाँ अधिभार देकर कुल प्राप्ताांकों की गुणानुक्रम सूची प्रतिशत सहित सूचना पटल पर लगाई जावेगी जिसमें प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि का भी उल्लेख होगा। सामान्य वर्ग आरक्षित श्रेणी के लिए अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

(ख) प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किए जाने एवं जहाँ आवश्यक हो स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूलप्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जावेगी।

(ग) निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात्

स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को आवश्यक रूप से निरस्त की सील लगाकर उसे निरस्त कर दिया जावेगा।

(घ) स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाना चाहिए। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाएगा।

(ड.) प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ –साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग / अनुशासनहीनता / तोड़–फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसी गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बंद कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहाँ कि छात्र / छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

(च) घोषित प्रवेश सूची की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर नियमानुसार प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त विलंब शुल्क 100 / – लिया जावेगा।

3.5 प्रवेश की पात्रता :-

(1) छत्तीसगढ़ के मूल / छ.ग. में संपत्तिधारी निवासी / राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी–जिनका पदांकन छ.ग. में हो –उसके पुत्र / पुत्रियों, जम्मू काश्मीर के विस्थापितों उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। उक्त प्रकार से प्रवेश देने के बाद भी स्थान रिक्त होने पर अन्य स्थानों के बोर्ड अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(2) किसी भी संकाय से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। 10+2 परीक्षा का तात्पर्य छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित या संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के विद्यालयों के इंटरमीडियेट बोर्ड के समकक्ष परीक्षा से है।

(3) सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, सी.बी.एस.ई. की 10+2 परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है।

(4) अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में पूर्णांक का न्यूनतम 45% एवं सैद्धांतिक विषयों में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक सीमा केवल प्रथम वर्ष स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए ही है। अगली कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा लागू नहीं होगी।

(5) **आयु सीमा** :- स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से कम आयु होना आवश्यक है। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जावेगी।

(6) अ.जा. / अ.ज.जा. / पिछड़ा वर्ग / विकलांग / महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी।

(7) **बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-** स्नातक स्तर तक एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम या द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ायें जा रहे विषयों, विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के बाद ही नियमित प्रवेश दिया जावेगा आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य देना होगा। छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से उत्तीर्ण छात्रों को भी पात्रता प्रमाण पत्र जमा करने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा।

(8) **अस्थायी प्रवेश :-** अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी। प्रवेश स्थान रिक्त होने पर गुणानुक्रम के आधार पर होगा। उपर्युक्त की कंडिका (7) के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जावेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य होगा।

(9) जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो और या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हों/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिय प्राचार्य अधिकृत है।

(10) महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है। अपर संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा छ.ग.शासन द्वारा आदेश प्राप्त है कि ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

3.6 विश्वविद्यालयीन नियम :-

(1) महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु छात्र/छात्राएं इस विश्वविद्यालय को छोड़कर यदि मध्यप्रदेश, छ. ग. अथवा मध्यप्रदेश के बाहर के विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण होकर आते हैं तो उन्हें प्रवेश देने के पूर्व विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही प्रवेश दिया जावेगा। इसी प्रकार यदि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल एवं सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी नई दिल्ली द्वारा संचालित 10+2 (बारहवीं) परीक्षा उत्तीर्ण हो छोड़कर अन्य कोई बोर्ड अथवा प्री-डिग्री यूनिवर्सिटी परीक्षा उत्तीर्ण कर आने वाले छात्रों को भी पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हें प्रवेश दिया जायेगा।

(2) पात्रता हेतु उन्हें अपने समस्त पूर्ववर्ती परीक्षाओं की अंकसूचियों की अभिप्रमाणित स्वच्छ फोटो प्रतियों, उपाधि प्रमाण पत्र,प्रवजन प्रमाण पत्र की भी फोटो स्टेट प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों के साथ विश्वविद्यालय में भेजना होगा। उक्त आवश्यक कागजात प्राप्त होने पर पात्रता हेतु फीस 40 (चालीस रूपये मात्र) जमा करना होगा तथा विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने पर 200

(दो सौ रूपये) विलंब शुल्क लगेगा जो नियमित छात्रों के लिए प्रवेश की तिथि समाप्त होते ही तथा अमहाविद्यालयीन छात्रों के लिए परीक्षा आवेदन पत्र जैसे ही विलंब शुल्क लागू होता है उसी तिथि से विलंब शुल्क लागू हो जायेगा।

(3) पात्रता प्रमाण पत्र देने हेतु विश्वविद्यालय को कम से कम तीन दिनों एवं कुछ विशेष परिस्थितियों में अधिक समय लग सकता है। अतः यह सुझाव है कि वे अपना आवेदन समयानुसार विश्वविद्यालय में जमा करें।

(4) यदि छ.ग. के बाहर के विश्वविद्यालय की पार्ट परीक्षा में उत्तीर्ण होकर इस विश्वविद्यालय की पार्ट परीक्षा में सम्मिलित होना हो तो आवेदक का उक्त विश्वविद्यालय का उक्त सत्र का पाठ्यक्रम भी संलग्न करना होगा ताकि परीक्षण कर प्रकरण निपटाने में आसानी हो सके।

(5) राष्ट्रीय ओपन स्कूल नई दिल्ली द्वारा संचालित 10+2 परीक्षा (पाँच विषयों में उत्तीर्ण) में उत्तीर्ण छात्र को त्रिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की पात्रता है।

(6) रविशंकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्वशासी महाविद्यालय खंड परीक्षा उत्तीर्ण कर गैर स्वशासी महाविद्यालय में अगली कक्षा में प्रवेश की पात्रता है।

3.7 प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

(क) प्रथम वर्ष स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित, स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के कमानुसार रहेगा।

(ख) स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार होगा–उत्तीर्ण नियमित,भूतपूर्व नियमित,एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र / स्वाध्यायी छात्र।

(ग) किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

(घ) आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् अथवा उसके निवास / तहसील / जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय / विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय / विषय समूह में प्रवेश हेतु अपने नगर / तहसील / जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावेगा। आवेदक के निवास स्थान / तहसील / जिला में स्थित या आस –पास के अन्य जिलों में समीपस्थ महाविद्यालय में आवेदित विषय / विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा।

(ड) **गुणानुक्रम** :- उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावेगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के साथ देय अधिभार जोड़कर गुणानुकम निर्धारित होगा। सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग – अलग गुणानुकम सूची बनाई जायेगी।

3.8 आरक्षण :-

शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप प्रवेश हेतु आरक्षण निम्नानुसार होगा –

(क) अ.जा.एवं अ.जनजाति के आवेदकों के क्रमशः 12ः तथा 18ः स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

(ख) पिछड़े वर्ग (चिकने परत को छोड़कर) के लिए 14ः स्थान आरक्षित होंगे।

(ग) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों एवं उनके पुत्र–पुत्रियों तथा दिव्यांग श्रेणी के लिए संयुक्त रूप से 3% स्थान आरक्षित रहेंगे। दिव्यांग आवेदकों को प्राप्तांकों के 10% अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

(घ) सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30% स्थान महिला छात्राओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

(च) आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा गया है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसे विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम से आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जायेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेंगी।

(छ) आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1 / 2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा 1 / 2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

(ज) प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिए पर्याप्त छात्र / छात्राएं उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

3.9 संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन :-

(क) महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन की अनुमति प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलंब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जावेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय / संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक होगा।

(ख) स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय / विषय गुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5ः अंक घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुए प्राप्तांकों पर देय होगा।

3.10 अधिभार :-

अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जावेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जावेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक ही देय होगा।

एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट (स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स /रोवर्स) :-

(क) एन.एस.एस. / एन.सी.सी. ए सर्टिफिकेट – 2 प्रतिशत

(ख) एन.एस.एस. / एन.सी.सी. बी सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स – 3 प्रतिशत

(ग) एन.एस.एस. / एन.सी.सी. सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स – 4 प्रतिशत

(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र – 4 प्रतिशत

(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी. / एन.एस.एस.– 4 प्रतिशत कन्टिनजेन्ट में विद्यार्थियों को

(छ) राज्यपाल स्काउट्स – 5 प्रतिशत

(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स – 5 प्रतिशत

(झ) द्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट –- 10 प्रतिशत

(ट) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी. / एन.एस.एस के तहत चयनित एवं प्रवास करने वाले केडेट को / अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिए चयनित विद्यार्थी को – 15 प्रतिशत

(ठ) ऑनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर – 10 प्रतिशत।

3.11 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / क्विज / रुपांकन प्रतियोगितायें :-

1. लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ राज्य उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला,संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में –

(क) प्रथम, द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 2 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त टीम के सदस्य को – 4 प्रतिशत

2. म.प्र. / छ.ग. शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में –

(क) छ.ग. / म.प्र. राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को – 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. राज्य की टीम के सदस्यों को –12 प्रतिशत

3. उपर्युक्त कंडिका 11.3(1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में –

(क) प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 2 प्रतिशत

(ख) व्यक्गित प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 7 प्रतिशत

(ग) संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगियों को – 5 प्रतिशत

भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में –

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान पाने वाले को – 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान अर्जित करने वाले टीम के सदस्यों को – 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को – 10 प्रतिशत

4. भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साइन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को – 10 प्रतिशत

5. जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को – 1 प्रतिशत

3.12 विशेष प्रोत्साहन :-

एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलंपियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाय जिनकी पात्रता है। बशर्ते कि :–

1. इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक खेल एवं युवक कल्याण,छ.ग.शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो।
2. यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्योदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है परन्तु इस प्रकार की सुविधा दुबारा प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जावेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

4. महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ :-

छात्र–छात्राओं को अधिकाधिक सुविधाओं की उपलब्धता हेतु महाविद्यालय में निम्नांकित सुविधाएं है –

1. **सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र** - प्राचार्य द्वारा मनोनीत प्राध्यापकों/ग्रंथपाल के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों की मानसिक व शारीरिक क्षमता के अनुरूप उचित पथ प्रदर्शन, रोजगार के अवसर विभिन्न सेवाओं में रिक्त पदों की सूचना देने हेतु यह केन्द्र कार्य करता है।
2. **पुस्तकालय** - महाविद्यालय में पुस्तकालय की सुविधा ज्ञानर्जन की दृष्टि से उपलब्ध है। परिचय पत्र के आधार पर प्रति छात्र दो पुस्तकें निर्गमित करवा सकता है।
   समस्त विषयों के औपचारिक अध्ययन के अलावा छात्रों को विभिन्न पत्र–पत्रिकाएं प्रतियोगी पत्रिकाएं, दैनिक समाचार पत्र, रोजगार समाचार एवं रोजगार नियोजन का लाभ वाचनालय के द्वारा प्राप्त होता है।
3. **पुस्तकालय के सामान्य नियम :-**
   1. स्नातक कक्षा के छात्र एक समय में पुस्तकालय से 14 दिनों के अवधि के लिए एक पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए निर्धारित दिन एवं समयानुसार ही पुस्तकालय से पुस्तकों को लेन –देन करना होगा।
   2. स्नातकोत्तर कक्षा के छात्र अपने विभागीय पुस्तकालय से 14 दिन की अवधि के लिए पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि के पश्चात् पुस्तकें वापस नहीं करने वालों को विलंब के प्रतिदिन प्रति पुस्तक की दर से अर्थदण्ड देना होगा।
   3. छात्रों को चाहिए कि पुस्तकें निर्गमित कराते समय वे पुस्तकों का सावधानी पूर्वक निरीक्षण कर लें और पुस्तकों के पृष्ठ कटे–फटे या कोई पृष्ठ न होने पर ग्रंथपाल का तत्काल सूचित कर उनके हस्ताक्षर करवा लें।
   4. पुस्तकालय की पुस्तकों में लिखना/रेखांकित करना/पृष्ठ निकालना या किसी प्रकार की क्षति पहुँचाना दण्डनीय है।
   5. पुस्तकालय से निर्गमित पुस्तकों को परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व वापस किया जाना आवश्यक होता है किन्तु जिन छात्रों को पुस्तकें नहीं लौटानी हो वे अवधान राशि एवं तत्संबंधी आवेदन

पत्र प्रस्तुत करें। पुस्तकें जमा करने पर अवधान राशि लौटा दी जावेगी।

6. छात्र–छात्राओं को यह सुझाव दिया जाता है कि पुस्तकालय के सभी नियमों एवं सूचनाओं से स्वतः अवगत होते रहे।

7. छात्र–छात्राएँ अपना ईमेल बनाकर रखें। प्रवेश के समय इस ईमेल को प्रवेश फॉर्म में भरें। छात्र–छात्राएँ परीक्षा आवेदन पत्र,एण्टी रैगिंग शपथ पत्र तथा स्टडी मटेरियल इसी ईमेल के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं।

4.1 बुक बैंक योजना :-

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निर्धन छात्रों को बी.पी.एल. बुक बैंक योजना के अंतर्गत पूरे सत्र के लिए पुस्तकें प्रदान की जाती हैं।

4.2 स्वास्थ्य परीक्षण :-

महाविद्यालय के नियमित छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण समय–समय पर किया जाता है। महाविद्यालय की यूथ रेडक्रॉस सोसायटी, स्वास्थ्य विभाग आदि के सहयोग से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने की दिशा में विभिन्न गतिविधियों का निष्पादन महाविद्यालय करता है।

4.3 यूथ रेडक्रॉस सोसायटी :-

पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य से 21/08/2006 को यूथ रेडक्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई। महाविद्यालय में यूथ रेडक्रॉस समिति एवं रेडरिबन क्लब का गठन भी किया गया। जिसमें लगभग 20 से 30 छात्र–छात्राओं का एक दल बनाया जाता है।

यूथ रेडक्रॉस सोसायटी के अंतर्गत छात्र–छात्राओं को विशेष जानकारी के तहत व्याख्यान कराये जाते हैं। निःशुल्क रक्त एवं नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण और प्राथमिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन महाविद्यालय छात्रों के विकास एवं रोजनारोन्मुखी दृष्टि से करवाया जाता है जिसमें समस्त छात्र–छात्राओं की भागीदारी रहती है। प्राथमिक चिकित्सा संबंधी जानकारियों से भी अवगत कराया जाता है जिसमें हद्याघात, एड्स, मुँह का कैंसर, डायबिटीज़ आदि गंभीर बीमारियों का प्राथमिक एवं उनकी रोकथाम संबंधी प्रारंभिक ज्ञान भी प्रदान किया जाता है। नेत्र परीक्षण के अंतर्गत रंग–वर्णान्धता का परीक्षण करवाया जाता है।

4.4 राष्ट्रीय सेवा योजना :-

छात्र–छात्राओं को कर्म के प्रति निष्ठा,समाजसेवा,जनकल्याण,चरित्र निर्माण की भावनाओं को विकसित करने के उद्देश्य से इस महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) की 2 इकाइयाँ संचालित हैं। इस योजना के माध्यम से छात्रों को पढ़ाई के साथ–साथ समाजसेवा का अवसर प्राप्त होता है। महाविद्यालय में 100 + 50 छात्रों की दो इकाइयाँ संचालित हैं। विद्यार्थी रचनात्मक सामाजिक कार्यों में भाग लेता है। समाज के नागरिकों विशेषकर ग्रामवासियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें जागृत करना होता है। सामाजिक बुराई अशिक्षा, अस्वच्छता, अस्पृश्यता, अंधविश्वास आदि के निराकरण में छात्र की सृजनात्मक शक्ति विकसित होती है।

राष्ट्रीय सेवा योजना में पंजीकृत होने वाले स्वयंसेवकों को उनकी नियमित गतिविधि के रूप में प्रतिवर्ष 120 घंटे समाज कल्याण कार्यों में भाग लेना आवश्यक होता है। रासेयो स्वयं सेवक को विशेष प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत 7 दिवसीय शिविर में भाग में भाग लेना आवश्यक होता है। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत ''बी'' एवं ''सी'' प्रमाण पत्र प्रदान किये जाते हैं।

4.5 खेलकूद :-

छात्र–छात्राओं के व्यक्तित्व के विकास के उद्देश्य से इस महाविद्यालय में खेलकूद की समुचित व्यवस्था की गई है। खेलकूद के प्रशिक्षण हेतु क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त हैं।

महाविद्यालय में एक क्रीड़ा समिति गठित की जाती है,जिसके माध्यम से खेलकूद से संबंधित गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन एवं नियंत्रण होता है। महाविद्यालय में खेलकूद संबंधी सुविधाओं में इनडोर एवं आउटडोर दोनों प्रकार के खेलों की सुविधा है।

आउटडोर – क्रिकेट, व्हॉलीबॉल, कबड्डी, खो–खो, एथलेटिक्स, बॉल बैंडमिंटन।

इनडोर – टेबल टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग।

महाविद्यालय में खेलकूद संबंधी उपलब्धियां प्रशंसनीय रहीं। महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं ने विभिन्न खेल विधाओं में राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय स्थान प्राप्त किया। प्रतिभावान खिलाड़ियों को ट्रेकसूट ,प्रतीक चिन्ह एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। वर्ष के अंत में खेल–कूद स्पर्धा भी कराई जाती है एवं पुरस्कार वितरण किया जाता है।

4.6 इंटरनेट सुविधा, वेब आधारित अध्ययन सामग्री

प्रायोगिक कक्षाओं में छात्रों को पीपीटी प्रजेंटेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। स्टडी मटेरियल छात्रों को पेन ड्राइव में दिया जाता है। विडियो लेक्चर देखने के लिए वाई–फाई है। छात्र अपना ईमेल बनायें, ताकि वेब अध्ययन सामग्री ईमेल में मांगे जाने पर दी जायेगी।

4.7 छात्रवृत्तियाँ :-

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थी का स्वयं के नाम पर बैंक खाता होना चाहिए। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के पूर्व छात्र स्वयं आश्वस्त हो लें कि वे निर्धारित न्यूनतम/अनिवार्य अर्हतायें पूर्ण करते हैं। ऑनलाईन आवेदन करने वाले छात्र–छात्रायें आवेदन पत्र की प्रिंट ऑउट को स्वयं प्रमाणित समस्त दस्तावेजों सहित इस महाविद्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करेगे। छात्रवृत्ति के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित निमय एवं छात्र पिछली परीक्षा उत्तीर्ण हो। मापदंड लागू होगें।

कुछ प्रमुख छात्रवृत्तियाँ जो पोस्ट मैट्रिक स्तर पर उपलब्ध हैं उनका विवरण इस प्रकार हैं :–

1. अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं के लिए पोस्ट मैट्रिक केन्द्रीय छात्रवृत्तियाँ [Ministry of Minority Affairs]
2. दिव्यांगों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति [Department of Empowerment of Persons with Disabilibites]
3. महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए केन्द्रीय क्षेत्रीय (सेंट्रल सेक्टर) छात्रवृत्ति [Department of Higher Education]
4. **एकल बालिका छात्रवृत्ति** - नियमित प्रवेश प्राप्त वे छात्रायें जो अपने माता–पिता की एकल संतान हैं।
5. **इन्सपायर छात्रवृत्ति** - हायर सेकेंडरी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर प्रतिभाशाली छात्रों के लिए लागू छात्रवृत्ति।
6. **बी.पी.एल. छात्रवृत्ति** - गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों कें संतान के लिए यह उपलब्ध है।

बी.पी.एल. छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं –

स्नातक स्तर पर	300/– प्रतिमाह	अधिकतम 10 माह के लिए
स्नातकोत्तर स्तर पर	500/– प्रतिमाह	अधिकतम 10 माह के लिए

7. **पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार है :-** (अधिकतम 10 माह के लिए)

क्र.	स्तर	नवीन एवं नवीनीकरण	जाति	छात्रवृत्ति की राशि प्रतिमाह रूपये	
				छात्र	छात्रा
1	स्नातक स्तर पर	नवीन एवं नवीनीकरण दोनों हेतु	अ.पि.व.	70/–	85/–
			अ.जा.	300/–	300/–
			अ.ज.जा.	300/–	300/–
2	स्नातकोत्तर स्तर पर	नवीन एवं नवीनीकरण दोनों हेतु	अ.पि.व.	100/–	100/–
			अ.जा.	530/–	530/–
			अ.ज.जा.	530/–	530/–
3	पी.जी. डिप्लोमा स्तर	नवीन एवं नवीनीकरण दोनों हेतु	अ.पि.व.	100/–	100/–
			अ.जा.	530/–	530/–
			अ.ज.जा.	530/–	530/–

नोट :- 1. अपूर्ण/गलत प्रपत्र अथवा अंतिम तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन अमान्य कर दिये जायेंगे।

2. उपर्युक्त नियमों, आय पात्रता, आधार संबंधी शर्तो एवं वार्षिक दर में शासन के निर्णयानुसार कभी भी परिवर्तन व संशोधन हो सकता है जो कि महाविद्यालय सूचना फलक पर लगा दिया जायेगा।

3. छात्र के पालक की आय मूल वेतन को माना जायेगा।

4. यदि विद्यार्थी विगत वर्ष से छात्रवृत्ति या शिष्यवृत्ति प्राप्त कर रहा है तो उसे नवीनीकरण हेतु नियत समय पर ऑनलाईन विधि से फिर से आवेदन करना होगा। नवीनीकरण का आधार पिछली कक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी हैं।

4.8 छात्रसंघ :-

शासन एवं विश्वविद्यालय के निर्देशन एवं नियमानुसार छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए छात्रसंघ का गठन किया जाता है। यह संघ पूर्णतया प्राचार्य के मार्गदर्शन में कार्य करता है। छात्रसंघ का योगदान महाविद्यालयीन विकास, व्यक्तित्व विकास, अध्ययन, शैक्षणेतर गतिविधियों में सक्रिय रूप से रहता है।

4.9 यू.जी.सी.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महाविद्यालय के विकास हेतु राशि आबंटित की जाती है, इसी तारतम्य में नवीन ग्रंथागार की स्थापना की गई है। महिला छात्रावास निर्मित है एवं सभागार भवन का प्रस्ताव भी भेजा गया है जिसके निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

4.10 (अ) नेशनल केडेट कोर (एन.सी.सी.) :-

विद्यार्थियों में देश प्रेम, सेवा, चरित्र निर्माण,अनुशासन ,नेतृत्व, आत्मविश्वास के गुणों का विकास करने के साथ सैनिक प्रशिक्षण एवं समाज सेवा के अवसर प्रदान करने हेतु गर्ल्स बटालियन का गठन किया गया है।

एन.सी.सी. का ध्येय वाक्य एकता और अनुशासन इस संगठन के उद्देश्य और महत्व को स्पष्ट करता हैं। एन.सी.सी.के मूल उद्देश्य सैनिक प्रशिक्षण के साथ–साथ साहसिक पर्वतारोहण तथा ट्रेकिंग अभियान, समाजसेवा, वृक्षारोपण,रक्तदान आदि जनहित कार्यक्रमों को प्रशिक्षण में जोड़ा गया है। पंजीकृत छात्राओं को नियमित गतिविधि तथा विशेष शिविर 10 दिवसीय कैम्प में भाग लेना अवश्य है इस योजना के अंतर्गत '' बी''

एवं ''सी'' प्रमाण पत्र प्रदान किये जाते हैं। जिसका लाभ महाविद्यालय में प्रवेश व शासकीय नौकरियों में अधिभार के रूप में लाभ मिलेगा। महाविद्यालय के समस्त कार्यक्रमों में एन.सी.सी. कैडेट्स की सक्रिय सहभागिता रहती है।

4.11 विज्ञान क्लब :-

विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों की तार्किक, जिज्ञासा,अनुसंधान और अन्वेषण की प्रवृत्तियों को विकसित करने के उद्देश्य से महाविद्यालय का विज्ञान क्लब, पोस्टर मॉडल, आलेखों व्याख्यानों क्विज आदि के माध्यम से अपनी सक्रिय भूमिका निर्वाहन करता है।

4.12 साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियाँ -

औपचारिक शिक्षण के अलावा छात्रों की सृजनात्मक प्रतिभाओं को विकसित करने के उद्देश्य से

1. निबंध, तात्कालिक भाषण, प्रश्न–मंच।
2. केशसज्जा ,रंगोली, मेंहदी, पुष्प सलाद सज्जा, छत्तीसगढ़ी व्यंजन स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है। वार्षिक सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। गायन, वादन ,नृत्य अभिनय कलाओं का प्रदर्शन स्नेह सम्मेलन के मंच पर होता है। युवा उत्सव में महाविद्यालय के विद्यार्थी भाग लेते हैं।
3. महाविद्यालयीन पत्रिका मानसी में छात्र–छात्राओं से रचनाएं आमंत्रित की जाती हैं।

4.13 परिषदों का गठन :-

महाविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों में परिषदों के माध्यम से विद्यार्थियों में स्वयं सक्रियता, प्रबंधन कर्तव्यनिष्ठा के गुण विकसित होते हैं। समय–समय पर अतिथि विद्वानों के प्रेरक व्याख्यानों का आयोजन ज्ञानार्जन हेतु किया जाता है।

4.14 एण्टी रैगिंग -

महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतः निषिद्ध है। प्रवेश के समय सभी विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को एण्टी रैगिंग शपथ पत्र भरना अनिवार्य हैं। विद्यार्थी ऑनलाईन एंटी रैगिंग शपथ पत्र भी भरेंगे।

5. छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में छात्रों के लिये आचरण संहिता

सामान्य नियम :-

1. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा,साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येतर गतिविधियों में भी भाग लेना आवश्यक है।
2. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
3. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
4. महाविद्यालय परिसर में यह शालीन व्यवहार करेगा,अभद्र व्यवहार,असंसदीय भाषा का प्रयोग,गाली गलौच मारपीट या आगेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
5. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन वर्जित होगा।
6. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है।
7. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा। तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।

8. महाविद्यालय की दीवारों, कोनों अथवा परिसर में थूकना,दीवारों का गंदा करना, गंदी बातें लिखना सख्त मना हैं विद्यार्थी को असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
9. रैगिंग करते किसी भी छात्र/छात्रा को पाया गया तो आरक्षी केन्द्र में एफ. आई. आर. दर्ज कराई जायेगी।
10. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
11. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है। वह सरल निर्व्यसन एवं मितव्ययी जीवन का निर्वहन करेगा।

5.1 अध्ययन संबंधी नियम :-

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों की उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ–सुथरा रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा। उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखें,लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फीटिंग आदि को तोड़–फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

5.2 छात्र/छात्राओं के लिए विशेष सूचना :-

1. महाविद्यालय में प्रथम प्रवेश की प्रथम शुल्क रसीद संभालकर रखें।
2. विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र एवं परिचय पत्र अनिवार्य रूप से अपने पास रखना होगा एवं समय–समय पर प्राध्यापकों द्वारा मांगने पर दिखाना होगा।
3. कक्षाओं में अध्यापन के समय इधर–उधर घूमना तथा अध्ययन–अध्यापन में किसी भी तरह बाधा पहुॅचाना अनुशासनहीनता मानी जाएगी।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने सहपाठियों और प्राध्यापकों से शिष्टतापूर्वक व्यवहार करेगा।
5. किसी भी विवाद की स्थिति में प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।
6. दोषी छात्र दंड के भागी होंगे । अर्थदण्ड, कक्षा से निष्कासन या अन्य दण्ड से दंडित किंया जा सकता है।
7. विद्यार्थियों के क्रिया–कलापों के संबंध में इनके पालकों को बुलाया जा सकेगा।

5.3 आवश्यक सूचनाएं -

1. प्रवेश हेतु प्रत्येक कक्षा के लिए अंतिम तिथि के उपरान्त आवेदन स्वीकृति नहीं होंगे।
2. प्रविष्ट विद्यार्थी की न्यूनतम 75% उपस्थिति आवश्यक है। कम उपस्थिति होने पर महाविद्यालय से नाम निरस्त कर दिया जायेगा या नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।
3. महाविद्यालय आचरण संहिता के विरूद्ध आचरण करने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
4. आश्रम एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में संशोधन होने पर नवीन नियमों के अनुसार

प्रवेश होगा।

5.4 नियमित विद्यार्थियों के रूप में विश्वविद्यालयीन परीक्षा में बैठन की पात्रता -

1. प्रत्येक विषय में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
2. आंतरिक परीक्षाओं में त्रैमासिक एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना आवश्यक है।
3. एन.एस.एस. / खेलकूद / राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जायेगा।
4. उपस्थिति की प्रथम गणना 31.10.2019 तक जाएगी।
5. कम उपस्थिति वालें छात्रों को तथा उसके पालकों को सूचना दी जायेगी।
6. उपस्थिति की द्वितीय गणना 17.02.2020 तक की जायेगी।

5.5 विशेष :-

1. गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों,प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन आदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
2. प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण,पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
3. प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों के लिए विद्यार्थी का प्रवेश निरत करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकारी प्राचार्य को होगा।
4. प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसक निष्पादन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
5. इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय–समय पर परितर्वन / संशोधन का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

5.6 अमानत राशि सुरक्षा निधि प्राप्त करने के लिए नियम -

1. महाविद्यालय को छोड़ने के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् जमा सुरक्षा निधि देय होगी।
2. अमानत राशि निकालने के लिए आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर महाविद्यालय के कार्यालय में कम से कम 10 दिनों पूर्व जमा करें।
3. परिचय पत्र एवं प्रवेश कार्ड की फोटो कॉपी के बिना धरोहर राशि का भुगतान नहीं क़िया जावेगा।
4. अमानत राशि का भुगतान सामान्यतः सप्ताह में दो दिन मंगलवार–शुक्रवार किया जावेगा।
5. छात्र / छात्राओं द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के 3 वर्ष के अंदर धरोहर राशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन देना होगा। 3 वर्ष के पश्चात् शासन के आदेशानुसार धरोहर राशि वापस नहीं की जावेगी।

नोट :- शुल्क के संबंध में यदि शासन के संशोधित नियम प्राप्त होते है तो उन्हें पृथक से सूचित किया जायेगा।

6. अनुशासन :-

इस महाविद्यालय का अनुशासन हमेशा सराहनीय रहा है। ऐसी आशा की जाती है कि इस परंपरा का भविष्य में भी निर्वाह होता रहेगा। विद्यार्थी का आचरण तथा व्यवहार अपने सहपाठियों, कर्मचारियों और प्राध्यापकों के साथ अच्छा रहेगा, ऐसी अपेक्षा की जाती है। महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की

अनुशासनहीनता एक गंभीर तथा दण्डनीय अपराध मानी जावेगी। विद्यार्थी से विनम्र एवं अनुशासित रहने की अपेक्षा के साथ ही उसके लिये कक्षाओं में सभी विषयों मे कम से कम 75: उपस्थिति अनिवार्य होगी, तथा वे महाविद्यालय परिवार में किसी प्रकार की अभद्रता नहीं करेंगे। अन्यथा ऐसे मामलें में उनके पालक को सूचित कर उसे महाविद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकेगी। ऐसे किसी भी विवाद में प्राचार्य महोदय का निर्णय अंतिम होगा। विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर में या बाहर अपने व्यवहार द्वारा महाविद्यालय की प्रतिष्ठा बनायें रखेंगे तथा महाविद्यालय परिसर में नियमों एवं आचरण संहिता का पालन कर्तव्यनिष्ठा के साथ करेंगे।

6.1 अनुशासन संबंधी विश्वविद्यालयीन अधिनियम :-

म.प्र. विश्वविद्यालयीन नियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्योदश क्रमांक 7 की धारा के अनुसार महाविद्यालय के ऐसे छात्र–छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये प्राचार्य सक्षम है जो महाविद्यालय में या बाहर अनुशासन भंग करते हैं। अनुशासनहीनता के लिए उक्त अध्यादेश में निम्ननांकित दंड का प्रावधान हैं –

1. निलंबन 2. निष्कासन 3. विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना

6.2 छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम 2001 :-

शैक्षणिक संस्था का विद्यार्थी प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा। यदि कोई विद्यार्थी इसका उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग के लिये दुष्प्रेरित करता है तो उसे 5 वर्ष तक का कारावास या पॉच हजार रूपये तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा। दोषी विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जावेगा एवं उसे राज्य के अन्य शैक्षणिक संस्था में तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

6.3 परिचय पत्र एवं उपयोग :-

प्रवेश के पश्चात् प्रत्येक छात्र–छात्रा को एक परिचय पत्र दिया जावेगा। छात्र–छात्राओं को महाविद्यालय में हमेशा यह परिचय पत्र अपने पास रखना होगा तथा सक्षम अधिकारी द्वारा मांगन पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। मांगे जाने पर परिचय पत्र प्रस्तुत न किये जाने की अवस्था में छात्र–छात्रा को किसी भी शिक्षक के द्वारा कक्षा अथवा महाविद्यालय समारोह में सम्मिलित होने से रोका जा सकता हैं। परिचय पत्र के लिए आवश्यक एक पासपोर्ट आकार का फोटो छात्र–छात्राओं को प्रवेश के समय जमा करना होगा। परिचय पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही संबंधित छात्र–छात्रा को पुस्तकालय से पुस्तकें निर्गमित की जा सकती है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र अथवा सुरक्षा निधि की वापसी के समय परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। परिचय पत्र खो जाने की स्थिति में छात्र–छात्रा को रू. 5.00 शुल्क जमा करके परिचय पंत्र की दूसरी (डुप्लीकेट) प्रति प्राप्त करनी होगी।

7. प्रवेश शुल्क की मद एवं दरें :-

महाविद्यालय मे प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को शासकीय/अशासकीय एवं विश्वविद्यालय शुल्क देने पड़ेंगे, इन शुल्कों की दरें निम्नांकित हैं –

अ. शासकीय शुल्क -

			रूपये
1.	पूरे सत्र के लिए	–	115.00
2.	महाविद्यालयीन लेखन शुल्क	–	2.00
3.	प्रवेश शुल्क	–	3.00
4.	प्रायोगिक शुल्क	–	20.00

ब. अशासकीय शुल्क

1.	छात्रसंघ शुल्क	–	5.00
2.	निर्धन छात्र कल्याण निधि शुल्क	–	5.00
3.	परिचय पत्र शुल्क	–	5.00
4.	महाविद्यालय विकास शुल्क	–	25.00
5.	सायकल स्टैंड शुल्क	–	30.00
6.	सम्मिलित निधि शुल्क	–	20.00
7.	क्रीड़ा शुल्क	–	12.00
8.	स्नेह सम्मेलन शुल्क	–	10.00
9.	चिकित्सा शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण	–	3.00
10.	वाचनालय	–	स्नातक 60.00, स्नातकोत्तर 100.00
11.	सुरक्षा निधि	–	स्नातक 20.00, स्नातकोत्तर 35.00
12.	महाविद्यालय छात्रा कॉमन रूम शुल्क	–	5.00
13.	आंतरिक परीक्षा शुल्क	–	50.00
14.	रेडक्रास शुल्क	–	25.00
15.	महाविद्यालयीन पत्रिका शुल्क	–	35.00

स. विश्वविद्यालयीन शुल्क

1.	विश्वविद्यालय खेल–कूद शुल्क	–	150.00
2.	नामांकन शुल्क	–	200.00

द. जनभागीदारी शुल्क

1.	स्नातक	–	600.00
2.	स्नातकोत्तर	–	600.00

स्ववित्तीय - एम.एस.सी. व एम.ए. भूगोल 9000.00 तथा एम.ए. अर्थशास्त्र, हिन्दी 7000 पी.जी.डी.सी.ए. – 15000

- छात्र / छात्राओं द्वारा जमा राशि अमानत राशि (सुरक्षा निधि) महाविद्यालय छोड़ते समय अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर वापस कर दी जायेगी।
- **अप्रवासन शुल्क** - उन छात्र / छात्राओं को देय होगा, जिन्होनें छ.ग. के बाहर से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

7.1 अतिरिक्त प्रायोगिक कक्षाओं के लिए अमहाविद्यालयीन छात्र / छात्राओं के लिए शुल्क :-

बी. ए. / बी.एस–सी. की प्रायोगिक कक्षाओं में प्रवेश पाने वाले महाविद्यालयीन छात्र / छात्राओं के लिए प्रत्येक सत्र में विशेष प्रायोगिक कक्षाओं का आयोजन किया जाना है। इन कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले छात्र / छात्राओं को महाविद्यालय का प्रवेश फॉर्म भरना होगा एवं निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

शासकीय शुल्क	–	30.00
प्रायोगिक विषय के लिए (प्रति विषय)	–	60.00
अध्यापन शुल्क	–	60.00
सुरक्षा राशि	–	100.00

महाविद्यालय विकास शुल्क — 25.00

टीप :- छात्रों को पूरे सत्र का शैक्षणिक शुल्क प्रवेश के समय भुगतान करना अनिवार्य है। जनभागीदारी शुल्क अतिरिक्त देय होगा।

7.2 शुल्क एवं रियायतें :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्त किया गया है । किन्तु अन्य समस्त शुल्क उन्हें देने होंगे। उक्त छूट हेतु उन्हें जाति विषयक प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
2. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्त हैं।यह छूट प्राप्त करने के पूर्व संबंधित छात्र/छात्रा को जिस कार्यालय में उनके माता–पिता सेवारत हो, तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. यदि दो या अधिक भाई–बहिन इस महाविद्यालय में एक ही सत्र में अध्ययन करते है तो उनमें बड़े को पूर्ण शुल्क और शेष का आधा शुल्क देना होगा।
4. महाविद्यालय की छात्राओं को शिक्षण शुल्क के भुगतान से पूर्णतः छूट दी गई है।

8. महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र -

1. छात्रों को समय –सीमा में शुल्क का भुगतान करना होगा।
2. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
3. यदि विद्यार्थी रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पाँच साल तक कारावास की सजा या पाँच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
4. यदि छात्र किसी गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा।

9. आंतरिक परीक्षा संबंधी नियम :-

(क) स्नातक स्तर पर प्रत्येक विषय के प्रत्येक प्रश्न पत्र में निर्धारित पूर्णांक के अनुसार विद्यार्थी द्वारा अर्जित प्राप्तांकों का 10% अंक विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार भेजा जाता है।

(ख) विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

(ग) अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा होगी।

(घ) परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

(ङ.) स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं की आंतरिक परीक्षा के प्राप्त अंक जोड़ने हेतु विश्वविद्यालाय को प्रेषित किए जाते हैं। अतएव इस परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य हैं।

10. प्रतिभा सम्मान :-

महाविद्यालय के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को जनभागीदारी समिति एवं दानदाताओं द्वारा नकद राशि अथवा प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया जाता है।